कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/101808 दिनांक 11/05/2022

लोक सूचना

श्री GANPAT SINGH पुत्र श्री PRATAP SINGH जाति RAJPUT निवासी DHORALA ,BADAPADAMPURA
श्री GIRDHARI पुत्र श्री GANPAT SINGH जाति RAJPUT निवासी DHORALA
श्री HAJARI LAL NATANI पुत्र श्री BHOURI LAL NARANI जाति MAHAJAN निवासी DHAMPURA ,BADAPADAMPURA
श्री KARAN SINGH RAJAWAST पुत्र श्री GANPAT SINGH जाति RAJPUT निवासी DHORALA , BADAPADAMPURA
श्री MANGI LAL C CHOHOUDHARY पुत्र श्री GANGARAM JAT जाति JAT निवासी JATO KA MOHALLA DHARAMPURA ,BADAPADAMPURA
श्री PRAHALAD SINGH पुत्र श्री GANPAT SINGH जाति RAJPUT निवासी DHORALA
श्रीमति RADHA DEVI पत्नी श्री HAJARI LAL CHOUDHARY जाति JAT निवासी BADAPADAMPURA
श्री RAGHUVEER SINGH पुत्र श्री GANPAT SINGH जाति RAJPUT निवासी DHORLA
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	6	2400	0.24
2.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	10	6100	0.61
3.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	42	2800	0.28
4.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	7	4300	0.43
5.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	8	3700	0.37
6.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	HAJARI LAL NATANI S/O BHOURI LAL NATANI	9	6900	0.69
7.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	MANGI LAL CHOUDHARY S/O GANGARAM , RADHA DEVI W/O	4	19700	1.97

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		HAJARI LAL CHOUDHARY			
8.	देवकीनन्दनपुरा, चाकसू (जयपुर)	MANGI LAL CHOUDHARY S/O GANGARAM , RADHA DEVI W/O HAJARI LAL CHOUDHARY	5	600	0.06
9.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	PRAHALAD SINGH S/O GANPAT SINGH	10	1100	0.11
10.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	KARAN SINGH S/O GANPAT SINGH	10/1	800	0.08
11.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	GANPAT SINGH S/O SAWAT SINGH	13	2900	0.29
12.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	GANPAT SINGH S/O SAWAT SINGH	15	7700	0.77
13.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	GANPAT SINGH S/O SAWAT SINGH	15/92	16000	1.6
14.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	GANPAT SINGH S/O SAWAT SINGH	16	10400	1.04
15.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	GANPAT SINGH S/O SAWAT SINGH	17	8400	0.84
16.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	KARAN SINGH S/O GANPAT SINGH , GIRDHARI SINGH S/O GANPAT SINGH , PRAHALAD SINGH , RAGHUVEER SINGH S/O GANPAT SINGH	10/2	800	0.08
17.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	KARAN SINGH S/O GANPAT SINGH , GIRDHARI SINGH S/O GANPAT SINGH , PRAHALAD SINGH , RAGHUVEER SINGH S/O GANPAT SINGH	11	1100	0.11
18.	चक शिवदासपुरा न. 2, चाकसू (जयपुर)	KARAN SINGH S/O GANPAT SINGH , GIRDHARI SINGH S/O GANPAT SINGH , PRAHALAD SINGH , RAGHUVEER SINGH S/O GANPAT SINGH	14/2	4300	0.43

	कुल	10

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **11-05-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2022/डी– 4060 **दिनांकः–** 10/5/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः–राजस्व ग्राम–खोरामीणा, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3100 हेक्टेयर भूमि की **फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम–खोरामीणा, तहसील–आमेर के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3100 हेक्टेयर भूमि की **फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार **08 (आठ) फोंट साईज में दो** राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो–दो मूल प्रतियॉ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः–श्रीमती प्रेम देवी मीणा पत्नी श्री बाबूलाल मीणा निवासी–ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर जिला–जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-309
10/5/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–LU2012/JDA/2022-23/101768)डी–4060 **दिनांकः**– 10/5/22

लोक सूचना

श्रीमती प्रेम देवी मीणा पत्नी श्री बाबूलाल मीणा निवासी–ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर कृषिक** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम–खोरामीणा तहसील–आमेर (जयपुर)	प्रेम देवी पत्नी बाबूलाल	174	0.3100

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....10/5/22.... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101747 दिनांकः 10/05/2022

लोक सूचना

श्री **RAMDEV** पुत्र श्री **MOHRU** जाति **JAT** निवासी **306MOHARU PIPALADA PACHAR TH JAIPUR, DIST.JAIPUR**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माचवा, जयपुर (जयपुर)	RAMDEV DATAK SON MOHRU	727	17958	1.7958
				कुल	**1.7958**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **10-05-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकःजविप्रा / उपा. / जोन–12 / 22 / डी– 919 दिनांक 10.05.22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90–ए की लोक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-512
11/5/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या......319..........   दिनांक....10.05.22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति लि0** की योजना **श्री गणेश विहार मुकुन्दपुरा रोड भांकरोटा** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	स्वामित्व
भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर	**541**	**0.73 में से 0.14 हैक्ट.**	1. ज्याना देवी पत्नि सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. धर्मसिंह पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. नाथु पुत्र गणेश हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. बलदेव सिंह पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 5. भगवान सहाय पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 6. मोहन लाल पुत्र सीताराम हि. 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार 7. रोडू पुत्र गणेश हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार
	542	**0.55 हैक्ट.**	1. ज्याना देवी पत्नि स्व. हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. धर्मसिंह पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. नाथु पुत्र गणेश हि. 151/543 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. बलदेव सिंह पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 5. भगवान सहाय पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 6. मोहन लाल पुत्र सीताराम हि. 151/2715 जाति जाट सा.देह खातेदार 7. रोडू पुत्र गणेश हि. 241/553 जाति जाट सा.देह खातेदार
	कुल किता 2	**कुल 0.69 हैक्टे.**	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–12 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101797 दिनांक: 09/05/2022

लोक सूचना

मैसर्स गोल्डस्टार कोम्मोसेल प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री बिष्णु बाजोरिया पुत्र श्री मन्टू बाजोरिया एवं श्री आकाश बाजोरिया पुत्र श्री विष्णु बाजोरिया पंजीकृत कार्यालय 905, शहीद हेमन्त के आर बोस सारणी, कोलकता, वेस्ट बंगाल ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मदाऊ सांगानेर (जयपुर)	**मैसर्स गोल्डस्टार कोम्मोसेल प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 905, शहीद हेमन्त के आर बोस सारणी, कोलकता, वेस्ट बंगाल ।**	36	3200	0.32
				कुल	**0.32**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **09-05-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-316
11/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी–2822 दिनांक–10-5-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

शिव शकर हा.को.ओ.सो.लि. की योजना स्वरूप विहार विस्तार के भूखण्ड संख्या 86 का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	64	250.00	13एफ शांति एवं धाकड़ कॉलोनी	श्री राजीव कुमार माहौर पुत्र श्री नारायण दास माहौर	श्री राजू पुत्र श्री कल्याण	अपंजीकृत इकरारनामा

आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

PRO/R-314
11/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / जोन–09 / 2022 / डी– 2825

दिनांकः– 10-5-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	डी–219	140.27 वर्ग गज	आनन्द विहार	रामा देवी यादव पत्नी श्री मिट्ठी लाल यादव, श्री अरूण कुमार यादव, अनुप कुमार यादव, अजय कुमार यादव पुत्रान् स्व. श्री मिट्ठीलाल यादव	मिट्ठन लाल यादव	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र।
2	131 (दक्षिणी भाग)	133.33 वर्ग गज	रोहिणी नगर (शंकर भवन गृ. नि.स.स.)	श्याम सुन्दर पंजाबी पुत्र श्री मनोहर लाल पंजाबी एवं श्रीमती अंजली पंजाबी पत्नी श्री श्याम सुन्दर पंजाबी	शारदा पालीवाल पत्नी श्री सुनील पालीवाल	मृत्यु उपरान्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-313
11/5/22

Kiran/E:\D Drive Data\Zone 09\public.docx

- 230 -

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2022 / डी– 1338 दिनांकः– 10/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–ए–47 श्री बसन्त लाल पुत्र श्री चान्दुमल को आवंटन जारी किया गया था। प्रार्थीया श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नी श्री मांगीलाल शर्मा के द्वारा फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा यह अवगत करवाया गया कि मूल हकत्याग पत्र कही गुम हो गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

10/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-315
11/5/2022

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 807 दिनांक 10/5/22

विज्ञप्ति

श्रीमती बनारसी देवी द्वारा विधाधर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 1/504 का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण–पत्र, हक त्याग पत्र, शपथ पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन जविप्रा द्वारा श्री भवानी सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। आवंटी द्वारा किये गये मुख्त्यारधारक व्यक्ति द्वारा भूखण्ड का बेचान किये जाने के उपरान्त नाम हस्तान्तरण श्री मांगेराममान के नाम जारी किया गया था। नाम हस्तान्तरण उपरान्त मांगे राम की मृत्यु दिनांक 08.04.2020 को हो चुकी है। मांगे राम के वारिसों द्वारा आवेदिका के पक्ष में हक त्याग पत्र किया गया है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-317
11/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 927 दिनांक 10/5/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	138	जादोन नगर बी	श्री ओम डुकिया एवं श्री यश वर्धन डुकिया	श्रीमती सरोज डूकिया पत्नी श्री सग्राम सिंह, श्री ओम प्रकाश एवं श्री यश वर्धन पुत्र श्री सग्राम सिंह	मृत्य प्रमाण पत्र

Sd

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

PRO/R-318
11/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी–1319 दिनांक 10/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गंगा विहार विस्तार के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री रामकुमार पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय शर्मा	4ए	128.88

उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2014 के द्वारा श्री हनुमान सहाय ने क्रय किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री भूरा की मृत्यु दिनांक 05.10.2020 को हो गयी है। स्व. श्री हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री भूरा के वारिसान श्रीमती तीजा देवी स्व. पत्नी श्री हनुमान सहाय शर्मा, प्रेम देवी, सुशीला देवी, संतोष देवी पुत्रियां स्व. श्री हनुमान सहाय शर्मा के द्वारा उक्त भूखण्ड हेतु श्री रामकुमार पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय शर्मा के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना राजस्व नगर के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R. 319
11.5.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी -1312A दिनांक 09/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा एवं श्री अजय शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र के आधार पर निजी खातेदारी आवासीय योजना गोकुल वाटिका के भूखण्ड संख्या 02 क्षेत्रफल 198.33 वर्गगज का नामहस्तांतरण जारी करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण/लीजडीड किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था एवं अन्य को आपत्ति हो तो यह सूचना जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विभाप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
2. श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी प्लॉट नं. 140, खुशी विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर एवं श्री अजय शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी प्लॉट नं. 139, खुशी विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-320
11.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी-1312 दिनांक 09/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा मेजर खन्ना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना राजस्व नगर के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया हैं जो निम्नानुसार हैः–

क.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	नगेन्द्र सिंह जसपाल पुत्र श्री भूपिन्दर सिंह जसपाल एवं श्रीमती गुरूप्रीत कौर पत्नी श्री वरूण सैतिया पुत्री श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल	05	277.77

उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र समिति द्वारा **श्रीमती जसजीत कौर पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल** के नाम जारी किया गया है तथा प्रमाणित सदस्यता सूची में **श्रीमती जसजीत कौर पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल** का नाम अंकित है। **श्रीमती जसजीत कौर पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल** कि मृत्यु दिनांक 09.01.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। **श्रीमती जसजीत कौर पत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल** के वारिसों श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल पुत्र श्री भूपिन्दर सिंह जसपाल एवं श्रीमती गुरूप्रीत कौर पत्नी श्री वरूण सैतिया पुत्री श्री नगेन्द्र सिंह जसपाल के पक्ष में लीजडीड जारी की जानी है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना राजस्व नगर के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-321
11/5/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–14/2022/डी– 2385 दिनांक 10/5/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	S3	355.56 व.ग.	श्री विनीत गंगवाल एच.यू.एफ. कर्ता श्री विनीत गंगवाल, निवासी– ए–10, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर–302004	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव–बी
2	S5	355.56 व.ग.	श्री विनीत गंगवाल एच.यू.एफ. कर्ता श्री विनीत गंगवाल, निवासी– ए–10, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर–302004	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव–बी

उक्त भूखण्डों का आवेदकों के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

(उपायुक्त (जोन–14) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर)

प्रतिलिपि:–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

sd/-
उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / जोन–09 / 2022 / डी– 2839 दिनांकः– 11.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
	डी–247	200.00	बैंक आफिसर्स कैम्पस डी ब्लॉक	श्री मोहन सिंह दहिया पुत्र श्री गौरी शंकर दहिया	श्रीमती राम कंवर दहिया पत्नी श्री मोहन सिहं दहिया	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 898 दिनांक 11/5/2022

विज्ञप्ति

श्री रविन्द जैन द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार के भूखण्ड संख्या 46 के नियमन हेतु समिति के आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण–पत्र, साईट प्लान के आधार पर करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन समिति द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में आवेदित भूखण्ड/आवंटी का नाम अंकित नहीं है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नियमन आवेदक के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति जोन कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त, जोन–2
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

R-323 11/5/22

Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी– 962 दिनांक 26/4/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	जेडसी–2	नारायण विहार जेड	देविका गुप्ता पुत्री नाबालिक जरिये संरक्षक संजय गुप्ता पुत्र श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल	अनरजिस्टर्ड वसीयत

उपायुक्त, जोन–8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–8

PRO/R-215
26/4/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी– 1116 दिनांक 11/5/2022

विज्ञप्ति

ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 81 व 83 क्षेत्रफल 2145.00 वर्ग मीटर भूमि बाबत खातेदार श्री मन्नाराम द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तरण करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदित खसरा नम्बरान् की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ख तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 (ii) का प्रकरण संख्या 24 / 2005 दिनांक 21.01.2008 को आदेश जारी किया गया था। वर्तमान में खातेदार श्री मन्नाराम एवं गोपाललाल द्वारा रजिस्टर्ड बंटरवारेनामें के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 81 क्षेत्रफल 708 वर्ग गज एवं खसरा नम्बर 83 क्षेत्रफल 5836 वर्ग गज में से 1857.42 वर्ग गज का आवासीय फ्लेट्स एकल पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः इस सूचना के माध्यम से उक्त खसरा नम्बर में किसी व्यक्ति / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद–मियाद आवेदक के पक्ष में नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। बाद मियाद कोई आपत्ति / सुझाव स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696